(b) if so, whether Government have taken any action to ensure that the material meant for earthquake victims in Garhwal & other places reaches needy persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Miscarriage among cattle due to pesticides in Andhra Pradesh

3320. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of miscarriage cases among cattle due to excessive use of pesticides have been reported from Monumaru, in West Godavari District of Andhra Pradesh;

(b) whether Government have conducted any research in this regard; and if so, the details thereof; and

(c) what steps are being taken to overcome the menace?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) to (c) The information is being gathered and will be placed on the Table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ितों के लिए ऊनी सामान

3321. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में उत्तरकाशी में आए विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित लोगों को दिए गए कम्बलों सहित ऊनी सामान का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) निकट भविष्य में इस शीर्ष के अंतर्गत सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली और मदद का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्ला पल्ली रामचंद्रन) : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अब तक भूकम्प से गंभीर रूप से प्रभावित जिलों उत्तरकाशी में लगभग 72,000 टेहरी गढ़वाल में 16,000 और चमोली जिले में 3500 कम्बल वितरित किए हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार भूकम्प से प्रभावित लोगों को निम्नलिखित सहायता प्रदान कर रही है/करने का प्रस्ताव रखती है :—

(1) अनुग्रह राहत राशि की सीमा 750/- रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 3000/- रुपए प्रति परिवार करना जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ एक कम्बल प्रति व्यक्ति का प्रावधान शामिल है जो अधिकतम पांच कम्बल प्रति परिवार होगा ।

(2) मृत्यु के प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान, जिसकी अधिकतम सीमा 60,000/- रुपए प्रति परिवार है ।

(3) गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 5,000/- रुपए की सहायता और छोटी-मोटी चोट के मामले में 2,000/- रुपए प्रति व्यक्ति को सहायता ।

(4) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान के लिए 20,000/- रुपए की सहायता तथा ढुडको से 15,000/- रुपए प्रति मकान के लिए ऋण ।

(5) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 5000/- रुपए की सहायता ।

(6) मर गए प्रत्येक पशु के लिए 1250 /-रुपए की सहायता ।

(7) उत्तरकाशी में 33,400 तरपालें टेंट और 60,000 टिन चादर तथा टेहरी गढ़वाल में 609 तरपालें/टेंट और 1977 टि